राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–5 एवं एकलव्य भवन
उपायुक्त (प्रशिक्षण, क्वालिटी, आर.ई.आई) कार्यालय–मुख्य भवन ब्लॉक–6, प्रथम तल,
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प./जय/ शनिवारीय कार्यक्रम /2018–19/ 11533 दिनांक 1|2|19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान
समस्त जिले।

निदेशक
आरएससीईआरटी
उदयपुर।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा
निदेशालय बीकानेर।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
निदेशालय बीकानेर।

विषय :– माह के प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा विभाग द्वारा बालकों में शैक्षिक, सह शैक्षिक क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु माह के प्रत्येक शनिवार को बाल सभाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। **राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में माह के प्रत्येक शनिवार को आवश्यक रूप से बाल सभा का आयोजन किया जावें।**

उद्देश्य :

1. विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक क्षमता वर्द्धन।
2. दबाव मुक्त शैक्षणिक वातावरण निर्माण।
3. सामुहिक सहयोग एवं समन्वय क्षमतावर्द्धन ।
4. शैक्षणिक वातावरण निर्माण में सामुदायिक रूचि एवं सहयोग भावना का निर्माण।
5. सामाजिक सौहार्द एवं समन्वय में वृद्धि।
6. विद्यार्थियों के प्रदर्शन में अभिभावकों की रूचि एवं सहयोग प्राप्त करना।

राज्य के प्रत्येक राजकीय विद्यालयों (प्रा/उप्रा/मा/उमा) में माह के प्रत्येक शनिवार को बालसभा का गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर आयोजन किया जावेगा। बालसभा के लिए निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें–

- **आयोजक–** संबंधित संस्थाप्रधान के नेतृत्व एवं निर्देशन में विद्यालय के समस्त अध्यापकों के सहयोग से बालसभा आयोजन को सुनिश्चित किया जावेगा।
- **सहभागिता–** शनिवारीय बाल सभा में विद्यालय में अध्ययनरत **समस्त विद्यार्थियों की सहभागिता** रहेगी तथा **प्रत्येक शनिवार को भिन्न–भिन्न विद्यार्थियों को सहभागिता/प्रदर्शन** का अवसर दिया जावे।
- **समय–** माह के प्रत्येक **शनिवार को प्रत्येक कालांश से 10 मिनट की कटौती की जाकर** अंतिम 2 कालांश अर्थात् 80 मिनट में ही किया जायेगा। **बाल सभा आयोजन 60 मिनट का होगा** एवं 20 मिनट में आयोजन हेतु विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं बैठक व्यवस्था की सुनिश्चितता की जावें।
- **पूर्व तैयारी–** बाल सभा आयोजन से पूर्व पंचायत के **सरपंच/वार्ड पंच/प्रबुद्ध नागरिकों से चर्चा कर** बाल सभा हेतु **सार्वजनिक स्थान का चयन** किया जा सकता है। प्रत्येक **बालसभा हेतु हर बार भिन्न स्थान का चयन** किया जावे। बाल सभा हेतु **ग्रामीणों को आमंत्रित कर सहभागिता हेतु निवेदन** किया जावें।
- **स्थान–** बाल सभा का आयोजन **विद्यालय के संबंधित गाँव/ढाणी के सुरक्षित एवं सार्वजनिक स्थान पर** किया जावे जहां ग्रामीण जनों/अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक स्थल पर **छात्र–छात्राओं को सुरक्षित पहुंचाने एवं पुनः विद्यालय तक लाने की समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान व शिक्षकों की होगी।**

www.rajteachers.com

निरन्तर....

सुझावात्मक गतिविधियाँ – बाल सभा में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है--

अभिव्यक्ति कौशल :- ▪ वाद–विवाद ▪ संस्कृत श्लोक वाचन ▪ बोलनाः गीत, कविता, लोकगीत, कहानी आदि ▪ नृत्य ▪ लिखनाः कहानी, घटना, कविता, श्रुतिलेख, सुलेख ▪ अविस्मरणीय घटना सुनाना ▪ नाटक, एकाभिनय, मूकाभिनय, ▪ अन्त्याक्षरी ▪ महापुरुषों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, गणितज्ञों, साहित्यकारों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों का वाचन	**सृजनात्मक कौशल :-** ▪ कबाड़ से जुगाड़, ▪ रंगोली, चित्रों में रंग भरना आदि ▪ विद्यार्थियों द्वारा निर्मित मुखौटे/खिलौने (मिट्टी, कपड़े, लकड़ी कागज आदि) का प्रदर्शन। ▪ मॉडल एवं चार्ट निर्माण ▪ भित्ति पत्रिका निर्माण
चिंतन, तार्किक कौशल :- ▪ पहेलियाँ हल करना ▪ विज्ञान एवं गणित के जादू प्रदर्शन ▪ क्विज एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी ▪ सद् साहित्य, महाकाव्यों पर प्रश्नोत्तरी	**सामुदायिक कौशल :-** ▪ पुलिस/डॉक्टर/नर्स/वकील/इंजीनियर/बैक कर्मी आदि की बारी–बारी से वार्ता कराना। ▪ दैनिक कामगार– लकडी का काम करने वाला/मिट्टी के बर्तन बनाने वाला/कारीगर/किसान/ सोने के आभूषण बनाने वाला/ लोहे के औजार बनाने वाला/ पेंटर/ दुकानदार आदि से उनके काम के बारे में जानना। ▪ संस्कार सभा के अन्तर्गत दादी/नानी के द्वारा परम्परागत प्रेरक कहानियों का वाचन ▪ राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक समाचारों एवं घटनाओं की समीक्षा तथा प्रबुद्धजनों का उद्बोधन
सामाजिक, संवेदनशीलता कौशल :- ▪ आईसीटी लैब/प्रोजेक्टर पर फिल्म प्रदर्शन ▪ Motivational videos ▪ Gender Based video (Good touch, Bed touch) ▪ बाल संरक्षण से संबंधित पीपीटी, वीडियो ▪ चाइल्ड राइट क्लब गतिविधियाँ ▪ वन एवं पर्यावरण क्लब ▪ रोड़ सेफ्टी क्लब ▪ मीना, राजू मंच की गतिविधियाँ ▪ पेड़–पौधे लगाना एवं सुरक्षा	**शारीरिक कौशल :-** ▪ विभिन्न प्रकार की दौड़ यथा–कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़, तीन टांग दौड, बोरी दौड़ इत्यादि ▪ रुमाल झपट्टा, सतोलिया आदि

उपर्युक्त गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जा सकती है, जो विद्यालय/अभिभावकों द्वारा सुझायी जायें।

www.rajteachers.com

निरन्तर....

* बाल सभा आयोजन का विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से ही किया जावें।
* आयोजन में विद्यालय पर यथासंभव किसी भी प्रकार का वित्तीय भार ना हो, इसका ध्यान रखा जावे।
* बाल सभा आयोजन में आवश्यकता होने पर विद्यालयों को प्राप्त कम्पोजिट ग्रान्ट का उपयोग अथवा ग्रामवासियों/अभिभावकों द्वारा स्वेच्छा से कोई सहयोग लिया जा सकता है।

जिला/ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में बालसभा का आयोजन निर्देशानुसार करवाया जाना सुनिश्चित करावें एवं इसका प्रभावी पर्यवेक्षण करे।

(भास्कर ए. सावन्त)
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
जयपुर

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प./जय/ शनिवारीय कार्यक्रम /2018–19/ 11534 दिनांक 1/2/19
प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
5. निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा, जयपुर।
6. निदेशक सीमेट, जयपुर।
7. निदेशक भाषा एवं पुस्तकालय विभाग।
8. आयुक्त MDM, जयपुर।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–I/II राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
10. उपायुक्त समस्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
12. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
13. कार्यक्रम अधिकारी (सामुदायिक गतिशीलता) समस्त जिले।
14. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारं/माध्य. शिक्षा, समस्त जिले।
15. प्राचार्य डाइट, समस्त जिले।
16. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक, राजस्थान।
17. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कुमार बोरड) 31/1/2019
आयुक्त
स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद,
जयपुर

www.rajteachers.com